

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 584/F-01002199/L-11-2/ब-4/चार  
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 27/07/2017

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
.....विभाग  
मंत्रालय, नया रायपुर


विषय :- राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मण्डल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत - प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण, 2017 (सातवां वेतनमान) का लाभ प्रदाय करने के संबंध में

उपरोक्त विषयांतर्गत विभिन्न विभागों के अधीनस्थ सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मंडलों/आयोगों/विकास प्राधिकरणों/अर्द्धशासकीय संस्थाओं (शासन से अनुदान प्राप्त) के नियमित कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 का लाभ प्रदाय करने हेतु वित्त विभाग में प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं ।

2- राज्य शासन द्वारा जब भी अपने अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया जाता है तो वित्तीय प्रभाव की समीक्षा किया जाना भी नितांत आवश्यक हो जाता है।

3- कृपया आपके विभाग के अधीनस्थ विषयांकित कार्यरत संस्थाओं का उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में जानकारी शीघ्र वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे कि इन संस्थाओं के लिए सातवां वेतनमान लागू किये जाने के संबंध में शीघ्र नीतिगत निर्णय लिया जा सकें।

संलग्न : - निर्धारित प्रपत्र ।

  
(सुरेश पाण्डेय)  
संयुक्त सचिव

सातवां वेतनमान प्रसार करने पर आने वाले वित्तीय भार की जानकारी

राशि रूपसे लाख में

क्र.	अवधि	पद		छठवें वेतन के अनुसार कुल व्यय	सातवें वेतन के अनुसार कुल व्यय	अंतर की राशि (व्यय भार)	व्यय भार का वहन					शासन से प्राप्त अनुदान की राशि	वार्षिक लेखों के ऑडिट की
		स्वीकृत	भरे पद				व्यय का स्त्रोत	केंद्र शासन	राज्य शासन	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1.1.2016 से 31.3.2016												
2	1.4.2016 से 31.3.2017												
3	1.4.2017 से 30.6.2017												